भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *73

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डूंगरपुर चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण

***73. श्री राजकुमार रोत:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में डूंगरपुर चिकित्सा महाविद्यालय कब स्वीकृत किया गया था;

(ख) उक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा होना था और महाविद्यालय का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने की समयावधि कितनी है तथा कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(घ) क्या उक्त चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है जिससे रोगियों को काफी असुविधा हो रही है; और

(ड.) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रसाद नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 26 जुलाई, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *73 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) से (ड.): सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), डूंगरपुर को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किए जाने वाली 189 करोड़ रूपए की लागत पर वर्ष 2014 में 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के चरण-I के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। 113.40 करोड़ रूपए का संपूर्ण केन्द्रीय हिस्सा राजस्थान सरकार को जारी किया जा चुका है। यह कॉलेज वर्ष 2018 में 100 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ कार्यशील है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रोगियों को कोई असुविधा नहीं हुई है।

****